

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21/2011 (रा.गु.नि.)  
पंजीयन दिनांक 25.08.2011  
G.C.M.S. NO. :- 2011/00010

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

श्री लोकेश पिता शंकरदास वैष्णव निवासी उसरोल, थाना आकोला, जिला  
चित्तौड़गढ़

-गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

उपस्थिति : 1- अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार  
2- श्री योगेश शर्मा, अधिवक्ता, गैरसायल

निर्णय

दिनांक 25.07.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल उसरोल, थाना आकोला, जिला चित्तौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है। दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह व्यक्ति चोरी करने,



सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री लोकेश पिता शंकरदास वैष्णव निवासी उसरोल, थाना आकोला, जिला-चित्तौड़गढ़

चोरी का माल खरीदने-बेचने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने का साहस ही नहीं करता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री संजय मौड़ ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन-समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं जवाब प्रस्तुत कर ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उसके पश्चात् गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य पैरवी में निम्नांकित गवाहान के बयान दर्ज कराये गये:-

- 1-श्री धनराज मीणा, उ. नि. हाल थाना आकोला तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
- 2-श्री मिठ्ठूसिंह पिता करणसिंह हैड़ कानि. 1251 हाल रिजर्व पुलिस लाईन चित्तौड़गढ़
- 3-श्री बोरज सिंह भाटी, पु. नि. हाल कोतवाली, चित्तौड़गढ़,
- 4-श्री विजय सिंह राठौड़, स. उ. नि. थाना आकोला, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
- 5-श्री शिवसिंह पिता ओनाड सिंह, स. उ. नि. थाना राजनगर, जिला राजसमन्द
- 6-श्री चन्दन सिंह उ. नि. पु. चौ. कांकरोली, थाना राजनगर, जिला राजसमन्द
- 7-श्री हरीश पिता नरेन्द्र सिंह निवासी उपरलापाड़ा, चित्तौड़गढ़
- 8-श्री रतन पिता भंवरलाल कुमावत निवासी जूना बाजार, चित्तौड़गढ़

अधिवक्ता गैरसायल ने उसकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह व्यक्ति चोरी करने, चोरी का माल खरीदने एवं बेचने तथा आम शांति भंग करने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध



सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री लोकेश पिता शंकरदास वैष्णव निवासी उसरोल, थाना आकोला, जिला-चित्तौड़गढ़

गवाही देने का साहस ही नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासे अनुसार कुल 09 प्रकरण दर्ज हुए हैं:-

- |                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 1- प्र.सं. 176/10 | धारा 379, 411 भा. द. स.         |
| 2- प्र.सं. 178/10 | धारा 379 भा. द. स.              |
| 3- प्र.सं. 197/10 | धारा 379, 411 भा. द. स.         |
| 4- प्र.सं. 206/10 | धारा 379 भा. द. स.              |
| 5- प्र.सं. 242/10 | धारा 379, 411 भा. द. स.         |
| 6- प्र.सं. 144/10 | धारा 379, भा. द. स.             |
| 7- प्र.सं. 165/10 | धारा 379, 411 एवं 413 भा. द. स. |
| 8- प्र.सं. 197/10 | धारा 379 भा. द. स.              |
| 9- प्र.सं. 29/10  | धारा 379, 411 भा. द. स.         |

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त सभी प्रकरण जैर ट्रायल है तथा उक्त प्रकरण में उपस्थित गवाहान ने भी अपने बयानों में गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नहीं देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल के विरुद्ध द्वेषतावश उक्त प्रकरण बनाकर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही प्रस्तुत की है। गैरसायल ने अपने में सुधार कर मेहनत मजदूरी कर शान्तिपूर्वक अपना व अपने परिवार का जीवन-यापन कर रहा है। उक्त प्रकरणों के बाद गैरसायल के विरुद्ध किसी भी धारा के आपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। मौहल्ले या गांव में कोई शांति भंग नहीं की है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला निर्णित नहीं हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन आने वाले अपराध करने की दुष्प्रेरणा में न तो लगा हुआ है और न ही ऐसे अपराध कर रहा है।



सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री लोकेश पिता शंकरदास वैष्णव निवासी उसरोल, थाना आकोला, जिला-चित्तौड़गढ़

गैरसायल के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। अतः सहानुभूति का रुख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त 09 प्रकरण जो कि सभी जैर ट्रायल है। इस प्रकार गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत रहा है एवं उसके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल लोकेश पिता शंकरदास वैष्णव निवासी उसरोल, थाना आकोला, जिला चित्तौड़गढ़ को गुण्डा घोषित किया जाता है एवं 15 दिवस (पन्द्रह दिवस) के लिए जिला चित्तौड़गढ़ से निष्काषित करने का आदेश दिया जाता है। गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 21.08.2024 तक अपने आप को इस जिले से निष्काषित कर उदयपुर जिले में प्रवेश कर ले। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति थानाधिकारी फतहनगर, जिला उदयपुर में देता रहेगा। उक्त क्षेत्र से अन्यत्र जाने से पूर्व गन्तव्य स्थान का पूर्ण पता थानाधिकारी फतहनगर, जिला उदयपुर के यहां दर्ज कराने के पश्चात वहां से प्रस्थान करेगा। थाना क्षेत्र फतहनगर में उपस्थिति के दौरान गैरसायल शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा हाऊस व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेगा। इस अवधि में तेज धारदार हथियार, अस्त्र अथवा आयुद्ध, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील वस्तु आदि उसके कब्जे में नहीं रखेगा।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’

(राकेश कुमार)

